न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

निर्वाचन अपील:: 04/2020 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमति मोहिनीदेवी पत्नी पुखराज, जाति पटेल, निवासी गांव रूपावास, तहसील पाली, जिला पाली		1. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकरी (पंचायत) (उपखण्ड अधिकारी, पाली –पदेन) निर्वाचन कार्यालय, पाली (राज.) 2. ब्लॉक लेवल अधिकारी (बीएलओ) निर्वाचन श्री रामजीवन जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यायल, रूपावास। 3. भू–अभिलेख निरीक्षक (आर.आई.) श्री रामस्वरूप मीणा कार्यालय भावंरी, तहसील पाली। 4. ब्लॉक लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुरेश ग्वाला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यलय मानपुरा भाकरी, तहसील पाली। 5. भू–अभिलेख निरीक्षक, पाली श्री दिलीपसिंह कार्यालय पाली, तहसील पाली, जिला पाली।

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम 1994

उपस्थित :–

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम पंचारिया

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 5

–:: नि र्ण य :–

दिनांक :– 3-3-20

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत नियम 21 निर्वाचन नियम 1994 के विरूद्ध आदेश निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) पाली द्वारा पारित दिनांक 30.12.2019 को निरस्त कराने एवं ग्राम रूपावास पंचायत रूपावास की मतदाता सूची में पुनः नाम जुड़वाने के आदेशार्थ प्रस्तुत की है। जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पाली के कार्यालय से जैर अपील आदेश से संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया। बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गयी।

जिला कलेक्टर, पाली

अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट का नाम नगर परिषद् की मतदाता सूची से तथा ग्राम रूपावास की पंचायत मतदात सूची दोनो से ही विलोपित कर दिया गया है। इससे अपीलांट अपने मतदान जैसे मौलिक अधिकार से वंचित हो रहा है। अपीलांट रूपावास में ही सामान्यतः निवास करती हैं। लेकिन उसके बच्चे पाली में पढ़ते है इस वजह से वह पाली में भी आती जाती एवं कभी रहती भी है। अपीलांट का नाम पाली की मतदाता सूची में भी दर्ज था। किसने कराया कैसे हुआ पता नहीं लेकिन अपीलांट मूल रूप से रूपावास की ही निवासी है, उसकी समस्त अचल, चल सम्पती रूपावास में ही स्थित है, वह रूपावास में ही रहती है तथा अपीलांट का आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड एवं जॉब कार्ड सभी ग्राम रूपावास के ही बने हुए है तथा वहीं मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते है। इस बाबत् दोहरे नाम की शिकायत प्राप्त होने पर उस संबंध में वक्त जांच अपीलांट द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर अपना नाम ग्राम रूपावास की पंचायत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु वक्त आक्षेप नोटिस दिनांक 13.12. 2019 के संदर्भ में जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन भी किया था कि शिकायत फर्जी है तथा शिकायतकर्ता के रूप में जिनके नाम है उनके द्वारा शिकायत नहीं करने बाबत् शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अपीलांट को जानकारी होने पर विधानसभा क्षेत्र पाली की मतदाता सूची से अपना नाम विलोपित करने हेतु प्रारूप 7 का आवेदन भर कर भी दिनांक 17.12. 2019 को प्रस्तुत कर दिया था तथा तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा बीएलओ को प्रेषित करने पर बीएलओ पाली की बाद जांच नाम हटाये गए साथ ही शिकायत की तथाकथित जांच जिसकी प्रति रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के द्वारा प्रेषित नहीं की गयी है को आधार मानते हुए ग्राम रूपावास की पंचायत मतदाता सूची सें भी नाम विलोपित कर दिया जिससे अपीलांट को अपने मताधिकार से पंचायत चुनाव में वंचित होना पड़ा साथ ही आगे आने वाले चुनाव में भी वंचित होना पड़ेगा। वर्तमान में पंचायतीराज मतदाता सूचीयों का पुनरीक्षण प्रारम्भ हो चुका है तथा प्रार्थी का नाम पाली व रूपावास (सुमेरपुर) दोनो निर्वाचन नामावलियो से विलोपित कर दिया गया है। ग्राम रूपावास विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर की मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आदेश प्रदान करावे अपीलांट का नाम विधानसभा एवं पंचायत सभी प्रकार की मतदाता सूचीयों में ग्राम रूपावास पंचायत रूपावास विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर में ही अंकित कराना चाहते है तथा तद्नुरूप ही नाम मतदाता सूची में जोडने के आदेश रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को प्रदान करावें। रेस्पोडेण्ट 01 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया, जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4 दिनांक 27.02.2020 को उपस्थित हुए थे तथा उन्होने किसी प्रकार का कथन नहीं किया न ही अपीलार्थी के कथन का लिखित या मौखिक रूप से खण्डन किया है।

जिला कलेक्टर, पाली

बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि नगर परिषद् पाली विधानसभा क्षेत्र पाली से अपना नाम विलोपित कराने हेतु प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा दिनांक 17.12.2019 को प्रस्तुत कर दिया था। तथा उसके अनुसार अपीलांट का नाम भी विलोपित किया जा चुका है जिससे अपीलांट को कोई एतराज नहीं है। निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुमेरपुर से विधानसभा क्षेत्र पाली एवं रूपावास विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर दोनों में नाम होने बाबत् शिकायत प्राप्त होने पर निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा बाद जाचं रिकार्ड के राजस्थान पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 16 के अनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलांट मोहिनीदेवी पत्नी पुखराज का नाम ग्राम पंचायत रूपावास पंचायत समिति पाली की मतदाता सूची से विलोपित करने के आदेश पारित किए गए है। अपीलांट का यह कथन विधी सम्मत नहीं माना जा सकता कि आक्षेपकर्ता द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि उन्होने शिकायत नहीं की है इसलिए नाम जोड़ा जावें। प्रश्न दो जगह नाम होने का है जो पंचायतीराज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 16 के विरूद्ध होने से पंचायत रूपावास के निर्वाचन नामावली से नाम विलोपित किया गया है लेकिन इसी समयावधी के आस पास पूर्व में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत फार्म संख्या 7 के आधार पर नगर परिषद् पाली की निर्वाचन नामावली से भी नाम विलोपित कर दिया गया। इस प्रकार दोनो निर्वाचन नामावलियों से अपीलांट का नाम विलोपित हो गया जो न्यायोचित नहीं हैं। अपीलांट का नाम किसी एक स्थान पर निर्वाचन नामावली में जोड़ा जाना विधीसम्मत है। वर्तमान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 निर्वाचन नामावली का पुनरीक्षरण कार्यक्रम चल रहा है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी आमतौर पर ग्राम रूपावास में ही निवासरत है इसलिए अपीलांट द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित फार्म भर कर निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पाली के समक्ष समयावधी में प्रस्तुत करने पर निर्वाचक एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पाली को अपीलांट का नाम ग्राम रूपावास की पंचायत मतदाता सूची में जोड़ने हेतु आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला निर्वाचन अधिकारी,
पाली

जिला कलेक्टर, पाली